

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक: 108/नागौर/2012-2013

यह प्रमाणित किया जाता है कि विद्ये शिक्षण संस्थान कुच्छाप्रमसिटी
जिला नागौर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,
1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 14/12/2012 माह नवम्बर
सन दो हजार बारह को नागौर में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं
नागौर

वसुधा अड्डा, नागौर फोन: 01580-240177



[Handwritten Signature]